2012:CGHC:9141

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 143/2004

ताराचंद लोधी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

दिनांक 30/07/2012 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

आर.एस. शर्मा

मुख्य न्यायाधिपति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 143/2004

अपीलार्थीगण : ताराचंद लोधी, पिता गिरधारी लोधी,
उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम
डिलापहरी, पुलिस स्टेशन लालबाग,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

अपीलार्थियों की ओर से श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता ।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/**प्रत्यर्थी** के लिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत

दाण्डिक अपील

निर्णय

(30 जुलाई, 2012 को सुनाया गया)

1. यह अपील सत्र न्यायाधिपति, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 166/2003 में पारित दिनांक 7/2/2004 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। दोषमुक्त निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलकर्ता ताराचंद लोधी को निम्नलिखित तरीके से दंडादिष्ट किया गया है और दंड दिया गया है, जिसमें दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:

दोषसिद्धि **दंड**

धारा 450 भारतीय दंड संहिता के तहत	5 वर्ष का कठोर कारावास
धारा 376(1) भारतीय दंड संहिता के तहत	10 वर्ष का कठोर कारावास

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, निम्नानुसार है:-

अभियोक्त्री (अ.सा.-1) (भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के दायरे में, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का नाम उल्लिखित नहीं किया गया है) ग्राम दिलापहरी में निवास कर रही थी। दिनांक 7/6/2003 को, लगभग 10 बजे पूर्वाह्न पर, वह अपनी छोटी बेटी के साथ अपने घर पर अकेली थी। उसके पति और ससुराल वाले आजीविका कमाने बाहर गए हुए थे। अपीलकर्ता उसके घर में घुसा और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। उसने उसका हाथ पकड़ा। जब उसने छुड़ाने की कोशिश की, तो उसने उसके सिर को पीछे से पकड़ा। उसे उसकी दाहिनी आंख, गाल और बाईं भौंह पर चोटें आईं। दीवार से सिर टकराने के कारण उसके सिर पर सूजन आ गई थी। अपीलकर्ता ने उसे पकड़ा, उसे नीचे गिराया और उसके साथ जबरन यौन संबंध (बलात्कार) किया। तत्पश्चात्, जब वह भाग रहा था, उसका पति सतीलाल (अ.सा.-2) वहां आया। सतीलाल (अ.सा.-2) ने अपीलकर्ता को भागते हुए देखा। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने उसे घटना के बारे में बताया। तत्पश्चात्, उसने यह घटना पंच नरहर, नंदू (अ.सा.-3) और गांव की महिला कोटवार को बताई। उसने पुलिस थाना लालबाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1) दर्ज कराई। उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी.-2ए के माध्यम से जिला अस्पताल, राजनांदगांव भेजा गया। डॉ. सुषमा कुमरे (अ.सा.-8) ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-2) दी, जिसमें उसने मूत्रमार्ग और लेबिया माइनोरा पर खरोंचें पाईं और जबरन यौन संबंध के साक्ष्य मौजूद थे। आगे की जांच में, पीड़िता (अ.सा.-1) का पेटीकोट प्रदर्श पी-3 के तहत जब्त किया गया। चूड़ियों के टुकड़े और खिलवा घटनास्थल से प्रदर्श पी-4 के तहत जब्त किए गए। अपीलकर्ता का अंडरवियर भी प्रदर्श पी-5 के तहत जब्त किया गया। पीड़िता (अ.सा.-1) की योनि स्लाइडें और जघन बाल कांस्टेबल ठगिया चंद्रवंशी (अ.सा.-4) से प्रदर्श पी-6 के तहत जब्त किए गए। अपीलकर्ता को भी चिकित्सा परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, राजनांदगांव भेजा गया, जिसका दस्तावेज़ प्रदर्श पी-11ए है। डॉ. राजेश सदानी (अ.सा.--6) ने उसकी जांच की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) दी, जिसमें उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता यौन संबंध बनाने में सक्षम था। जब्त की गई वस्तु को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहां से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) प्राप्त हुई।

जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव की न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधिपति, राजनांदगांव की न्यायालय में उपार्दित कर दिया, जिन्होंने प्रकरण का विचारण किया और अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडादिष्ट किया ।

3. अपीलकर्ता को दंडादिष्ट करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता (अ.सा.-1), सतीलाल (अ.सा.-2), नंदू (अ.सा.-3), कांस्टेबल ठगिया चंद्रवंशी (अ.सा.-4), एएसआई सुनीता यादव (अ.सा.-5), डॉ. राजेश सदानी (अ.सा.-6), इंस्पेक्टर पी.एस. मरावी (अ.सा.-7) और डॉ. सुषमा कुमरे (अ.सा.-8) का परीक्षण किया। अपीलकर्ता ने अपने बचाव में समयलाल (ब.सा.--1) का परीक्षण किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्री अनूप मजूमदार, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376(1) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराने में घोर त्रुटि की है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी अत्यधिक असंभव है। किसी के लिए भी एक विवाहित महिला के बच्चे की उपस्थिति में जबरन यौन संबंध बनाना असंभव है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर, पीड़िता के एक सहमति देने वाली पक्ष होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह संभव है कि पीड़िता (अ.सा.-1) को उसके निजी अंगों पर लगी चोटें उसके पति के साथ यौन संबंध के दौरान हुई हों। इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि स्थिर रखने योग्य नहीं है और वह दोषमुक्त होने का हकदार है

5. दूसरी ओर, श्री संदीप यादव, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, यह निवेदन किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा

अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के विरोधी तर्कों को सुनने के उपरांत, मैंने सत्र विचारण संख्या 166/2003 के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि पीड़िता (अ.सा.-1), सतीलाल (अ.सा.-2) और नंदू (अ.सा.-3) के साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य पर आधारित है।

7. पीड़िता (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि घटना दिनांक को वह अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर पर अकेली थी। उसका पति ट्रैक्टर में काम करने गया था और उसके सास-ससुर एक तालाब में काम करने गए थे। अपीलार्थी उसके घर में घुस आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने उसे पकड़कर जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए। जब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तो उसकी चूड़ियां टूट गईं और उसकी भौंह पर खरोंच आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपीलार्थी भाग गया और उसी समय उसका पति सतीलाल (अ.सा.-2) वहां आ गया। उसने अपने पति सतीलाल (अ.सा.-2) को घटना के बारे में बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), 2012 क्रि. एल.जे. 693 (एससी)** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

<u>**अभियोक्त्री का साक्ष्य**</u>

15. यह एक स्थापित कानून है कि एक महिला, जो यौन उत्पीड़न की शिकार है, वह अपराध में कोई सह-अपराधी नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की हवस का शिकार है। अभियोक्त्री एक आहत गवाह से ऊंचे पायदान पर खड़ी है क्योंकि वह भावनात्मक चोट से पीड़ित है। इसलिए, उसके साक्ष्य का परीक्षण एक सह-अपराधी के समान संदेह की मात्रा के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है), कहीं भी यह नहीं कहता है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि भौतिक विवरणों में इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। वह निस्संदेह साक्ष्य

अधिनियम की धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व मिलना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में एक घायल व्यक्ति को दिया जाता है। एक घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, न कि उससे अधिक। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखती है और संतुष्ट महसूस करती है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकती है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (बी) के समान विधि या विधि व्यवसाय का कोई ऐसा नियम नहीं है कि उक्त साक्ष्य में जिसके लिए पुष्टि की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्त्री की गवाही पर पूर्ण भरोसा करने में झिझकती है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकती है जो एक सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम, उसकी गवाही को आश्वासन दे सके। यदि मामले के अभिलेख में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता यह खुलासा करती है कि अभियोक्त्री के पास आरोपी व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत आशय नहीं है, तो न्यायालय को आमतौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटते समय अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहना चाहिए। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व को विचलित कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है और इसलिए, अभियोक्त्री की गवाही की सराहना पूरे मामले की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में, यहां तक कि अन्य गवाहों से पूछताछ न करना भी अभियोजन मामले में एक गंभीर दुर्बलता नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जहां गवाहों ने अपराध होते नहीं देखा था। (देखें: स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, एआईआर 1990 एससी 658: (1990 Cri LJ 889); स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम पप्पू यूनुस एंड अन्य, एआईआर 2005 एससी 1248: (2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 6563), और विजय चीनी बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., (2010) 8 एससी 191): (एआईआर 2011 एससी (Cri) 940: 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 5510)।

इस प्रकार, इस विषय पर जो विधि स्थापित है, वह इस आशय की है कि अभियोक्त्री का बयान, यदि भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर आरोपी को दोषी ठहरा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. यह एक स्थापित कानून है कि अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य को बिना किसी और समर्थन के दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। अब, मैं जांच करूंगा कि क्या अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का साक्ष्य सुसंगत, भरोसेमंद है और क्या इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है?

10. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि अपीलकर्ता उसके घर में घुसा और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उसने आगे गवाही दी कि उसे अपने शरीर पर कोई चोट नहीं आई। उसने आगे गवाही दी कि जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला, तो अपीलकर्ता भाग गया और उसी समय उसका पति सतीलाल (अ.सा.-2) वहां आ गया। उसने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता का घर उसके घर के सामने स्थित था। बाबूलाल की एक टेलरिंग-शॉप भी उसके घर के सामने स्थित थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सतीलाल (अ.सा.-2) ने गवाही दी कि घटना की तारीख को वह ट्रैक्टर में काम करने गया था और उसकी पत्नी (अभियोक्त्री - अ.सा.-1) और बच्चा उसके घर पर थे। वह सुबह करीब 10-10:30 बजे घर लौटा। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी (अभियोक्त्री अ.सा.-1) ने दरवाजा खोला। उस समय, वह रो रही थी। रोते हुए उसने उसे बताया कि ताराचंद (अपीलकर्ता) ने उसके साथ बलात्कार किया और उसी समय अपीलकर्ता उसके घर से भाग गया।

12. मुख्य परीक्षा में, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कहीं भी यह गवाही नहीं दी कि जब अपीलकर्ता उसके साथ जबरन यौन संबंध बना रहा था, तो उसने चिल्लाने और अलार्म बजाने की कोशिश की ताकि वह उसके चंगुल से बाहर आ सके।

13. प्राथमिकी (प्रदर्श पी-1) में, यह उल्लेख किया गया है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के गाल, बाईं आंख और बाईं भौं पर खरोंचें आईं और साथ ही उसके सिर पर सूजन भी थी। उसकी चिकित्सकीय जांच 8-6-2003 को की गई, यानी घटना के अगले दिन। डॉ. सुषमा कुमरे (अ.सा.-8), जिन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की जांच की, ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के

शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई। डॉ. सुषमा कुमरे (अ.सा.-8) ने गवाही दी कि मूत्रमार्ग और लेबिया मिनोरा पर खरोंचें मौजूद थीं।

14. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) घटना की तारीख को 25 वर्ष की विवाहित महिला थी। अपीलार्थी के लिए उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाना व्यवहारिक रूप से असंभव था। यदि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) जबरन यौन संबंध के खिलाफ विरोध करती और अपीलार्थी के चंगुल से बाहर आने की कोशिश करती, तो उसे अपने शरीर पर बाहरी चोटें लगतीं, लेकिन उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2A) में, डॉ. सुषमा कुमरे (अ.सा.-8) द्वारा कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई।

15. न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) के अनुसार, मानव शुक्राणु सामान ए-अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के जघन बाल, बी-अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की योनि स्लाइड, सी-अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का पेटीकोट और डी-अपीलार्थी के अंडरवियर पर मौजूद नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. सतीलाल (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि जब वह अपने घर आया, तो उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था और जब उसने दरवाजा खटखटाया, तो वह अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने खुद खोला। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) द्वारा दरवाजा खोलने के बाद, अपीलार्थी घर से भाग गया।

17. उपरोक्त साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का आचरण अप्राकृतिक है। उसने कोई शोर भी नहीं मचाया या अपीलार्थी के चंगुल से बाहर आने का कोई प्रयास नहीं किया। बाबूलाल की टेलरिंग-शॉप उसके घर के सामने स्थित थी। उसने अपने पति सतीलाल (अ.सा.-2) द्वारा दरवाजा खटखटाने के बाद ही अपने घर का दरवाजा खोला। यह दर्शाता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने वाली पक्ष थी। इसलिए, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्य को बिना किसी समर्थन के अपीलार्थी को दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में त्रुटि की। इसलिए, दोषसिद्धि और सजा का आक्षेपित निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है।

18. फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को धारा 450 और 376(1) भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। उसे उसके खिलाफ बनाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बांड निरस्त किए जाते हैं और बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

हस्ताक्षरित/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधिपति

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ...... Pritika Pandya